छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा   चतुर्थ सत्र   अंक-03

<u>रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 नवंबर, 2019</u>

(अग्रहायण 6, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

<u>1. अध्यक्षीय व्यवस्था</u>

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि प्राय: यह देखा गया है कि माननीय सदस्यगण चर्चा के दौरान एक-दूसरे सदस्यों के प्रति न केवल जाति-सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, वरन् उनकी भाषा, व्यवहार एवं आचरण भी शालीन नहीं रहता है ।

इस संबंध में पूर्व में भी कई बार अनुरोध किया गया है कि माननीय सदस्यगण सदन में एक-दूसरे के प्रति सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें । किन्तु देखा यह गया है कि बार-बार निर्देशित करने के बावजूद दिनांक 25.11.2019 को एक माननीय सदस्य ने एक अन्य माननीय सदस्य के प्रति जाति-सूचक शब्द का प्रयोग किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही में अनावश्यक व्यवधान हुआ और सदन के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न हुई तथा कल दिनांक 26.11.2019 को भी माननीय सदस्यगण की भाव-भंगिमा को लेकर कार्यवाही में व्यवधान हुआ ।

छत्तीसगढ़ विधान सभा की अपनी उच्च परम्परायें हैं, जिसमें माननीय सदस्यों का एक-दूसरे के प्रति सद्भाव एवं सामन्जस्य भी उच्च स्तर का होने के कारण सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित होती रही है ।

अत: मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया, भविष्य में किसी भी माननीय सदस्य के प्रति जाति-सूचक शब्द का प्रयोग न करें एवं अपना व्यवहार, आचरण एवं भाव-

भंगिमा भी सदन की गरिमा के अनुरूप बनाये रखें एवं किसी माननीय सदस्य के भाषण के बीच अनावश्यक टीका-टिप्पणी भी न करें ।

सभी माननीय सदस्यों से पुन: यह अनुरोध है कि न केवल अपने वरन् सदन की भी गरिमा बनाये रखें ।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर को धमकाने संबंधी घटना का उल्लेख किया ।

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है कि सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य को उनके द्वारा जनहित से संबंधित विषयों को उठाने के लिये अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दूरभाष पर धमकी दी गई । यह निश्चित रूप से बहुत ही चिन्ता का विषय है । इसलिए मैं चाहूंगा कि इस संबंध में आप तत्काल जांच कराकर सदन में वक्तव्य दें और सभी सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समुचित निर्देश संबंधितों को जारी करें ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की और कथन किया कि इस संबंध में गृह मंत्री प्रश्नकाल के पश्चात् वक्तव्य देंगे ।

3. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज अध्यक्षीय दीर्घा में अमेरिकी दूतावास मुम्बई के राजनीतिक मामलों के वाइस कौंसल मिस्टर राबर्ट पाउलसन हाऊजर उपस्थित हैं। सदन उनका स्वागत करता है ।

4. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से तारांकित प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05 (कुल 05) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 20 तारांकित एवं 52 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय सदस्यगण की भावना एवं लोक महत्व के अधिक से अधिक विषयों पर चर्चा हो सके, इस दृष्टि से मैंने 4 ध्यानाकर्षण लिये जाने का निर्णय लिया है । अत: मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जिस सदस्य का नाम ध्यानाकर्षण सूचना में है, वह नियम 138 (2) का पालन करते हुये केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछें ।

माननीय सदस्यों से सहयोग अपेक्षित है ताकि लोक महत्व के अधिक से अधिक विषय सदन में आ सके ।

6. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार-

(i) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019), तथा

(ii) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019)

पटल पर रखे ।

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम,सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम,1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक (ऑडिट रिपोर्ट) वर्ष 2018-2019, तथा

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-2019

(2) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 86 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-13/2017/32, दिनांक 27 जुलाई, 2019

पटल पर रखे ।

8. वक्तव्य

अज्ञात व्यक्ति द्वारा माननीय सदस्य के साथ अभद्र व्यवहार किया जाना

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने के संबंध में वक्तव्य दिया ।

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, अजीत जोगी सदस्य ने भी विचार व्यक्त किये ।

9. पृच्छा

(1) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, केशव प्रसाद चन्द्रा एवं अन्य सदस्यों ने प्रदेश में रेत खदानों का बिना अनुमति के अवैध रूप से रेत माफियाओं द्वारा संचालित किये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि आपकी सूचना विचाराधीन है। मैं किसी न किसी रूप में इस पर चर्चा कराऊंगा ।

(2) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने विशेषाधिकार भंग की सूचना का उल्लेख किया ।

माननीय सभापति ने कथन किया कि आपकी सूचना विचारधीन है ।

(निरंतर व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 12.27 बजे स्थगित की जाकर 12.51 बजे समवेत हुई ।)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री अजय चन्द्राकर सदस्य द्वारा विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

माननीय सभापति ने कथन किया कि आपकी सूचनायें विचारधीन हैं ।

10. ध्यानाकर्षण सूचना

सभापति महोदय द्वारा सूचित किया गया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ।

सहमति प्रदान की गई ।

(1) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने प्रदेश में स्टेरायड्स इंजेक्शन (शक्तिवर्धक) की अवैध बिक्री किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने अचानकमार वन अभ्यारण्य (टाईगर रिजर्व) में वन्य प्राणियों का अवैध शिकार किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्य सूची के पदक्रम 6 का कार्य पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की गई ।)

(3) डॉ. रमन सिंह, सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने प्रदेश मे मधुर योजना के अंतर्गत गुड़ सप्लाई के टेंडर में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

11. बहिर्गमन

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुये सदन से बहिर्गमन किया गया ।

12. ध्यानाकर्षण सूचना(क्रमश:)

(4) सर्वश्री शिशुपाल सोरी, संतराम नेताम, सदस्य ने प्रदेश की शासकीय शालाओं में स्थानीय स्तर पर परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था को परिवर्तित किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

13. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर
(2) श्री सत्यनारयण शर्मा
(3) श्री सौरभ सिंह
(4) श्री धर्मजीत सिंह
(5) डॉ.रमन सिंह
(6) श्री नारायण चंदेल
(7) श्री ननकीराम कंवर

(8) श्री अजीत जोगी

(9) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा

14. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

मानननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 67, अहिवारा से निर्वाचित सदस्य श्री गुरु रूद्र कुमार द्वारा नवंबर-दिसंबर, 2019 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है ।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई ।)

15. याचिकाओं की प्रस्तुति

मानननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री सौरभ सिंह

(2) श्री अजय चन्द्राकर

16. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

मानननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा कल ली जावेगी ।

अपरान्ह 2.12 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 28 नवंबर, 2019 (अग्रहायण-7, शक संवत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा